न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश, सुमेरपुर, जिला-पाली(राज.)।
पीठासीन अधिकारी :- सिद्धार्थ दीप, (आर.जे.एस.)

फौजदारी विविध (जमानत आवेदन) प्रकरण संख्याः-59/2026

प्रार्थी/अभियुक्त
सुरेन्द्र उर्फ सकाराम पुत्र श्री मोडाराम,आयु 31 वर्ष, निवासी- जोगनी खेड़ा, पुलिस थाना नोसरा, जिला जालोर, राज.।

// बनाम //

अप्रार्थी/राज्य

राजस्थान राज्य।

द्वितीय नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 13/2026, पुलिस थाना तखतगढ
अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस.
प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांकः 15.02.2026

उपस्थिति
1. श्री महेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त ।
2. श्री शिवराजसिंह राणावत, अपर लोक अभियोजक- राज्य की ओर से।

:ः आदेशः:ः

दिनांक-04.06.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सकाराम की ओर से उक्त द्वितीय नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया, नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। संबंधित विचारण न्यायालय से पत्रावली तलब की गई।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.01.2026 को परिवादी भरत प्रजापति ने पुलिस थाना तखतगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि, वह अपने परिवार सहित व्यवसाय के सिलसिले में

राजस्थान से बाहर विजयवाड़ा आंध्रप्रदेश में रहता है। दिनांक 22.01.2026 को रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने कस्बा तखतगढ गौरव पथ स्थित उसके मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर मकान में प्रविष्ट होकर पूजा रूम का ताला तोड़ा व पूजा रूम में पड़ी अलमारी से 300 ग्राम चांदी का कन्दौरा, ट्रेवलिंग बैग में रखी एक सोने की चैन व दो लाख रूपये नकद चुरा कर ले गये...आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना तखतगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 13/2026 दर्ज किया जाकर दौराने अनुसंधान दिनांक 15.02.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सकाराम व अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 331(1), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने से यह जमानत आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

03. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

04. दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किये हैं कि, प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, आरोपित अपराध मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरण है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में हैं, वह अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला अकेला व्यक्ति है। मामले के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

05. उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें एक प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट का एवं अन्य प्रकरण धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के अपराध से संबंधित है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त की लगातार आपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता प्रदर्शित होती है। प्रार्थी/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के रहवासीय मकान में प्रविष्ट होकर चोरी कारित की है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

06. आरोप पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सकाराम के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त निम्नांकित अन्य पूर्व के आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की सूची संलग्न की गई हैं-

क्र.सं.	मुकदमा नं./दिनांक	धारा	थाना/जिला	नतीजा
1.	87/2021	13 आरपीजीओ एक्ट	जालोर	–
2.	53/2021	13 आरपीजीओ एक्ट	आहोर	–
3.	39/2022	13 आरपीजीओ एक्ट	शिवगंज	सजा
4.	59/2022	13 आरपीजीओ एक्ट	शिवगंज	–
5.	97/2022	13 आरपीजीओ एक्ट	सुमेरपुर	–
6.	191/2022	13 आरपीजीओ एक्ट	रानी	–
7.	346/2022	13 आरपीजीओ एक्ट	सिरोही	200/– रूपये अर्थदंड
8.	50/2023	13 आरपीजीओ एक्ट	रानी	–
9.	31/2023	13 आरपीजीओ एक्ट	जसवंतपुरा	–
10.	26/2024	13 आरपीजीओ एक्ट	भीनमाल	–
11.	32/2024	13 आरपीजीओ एक्ट	भीनमाल	50/– रूपये अर्थदंड
12.	180/2021	8/18 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली जालोर	जैर ट्रायल

07. सुना गया, उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. हस्तगत प्रकरण में परिवादी भरत द्वारा पुलिस थाना तखतगढ में प्रस्तुत इत्तला के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.13 दिनांक 26.01.2026 को दर्ज की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र अंतर्गत धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस. के अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त से कुल 1500/-रूपये (पांच-पांच सौ रूपये के तीन नोट) बरामद होना अंकित हैं। प्रार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सकाराम के विरूद्ध पूर्व में दर्ज कुल 12 प्रकरणों की सूची में से 11 प्रकरण धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के अपराध से तथा एक प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध से संबंधित हैं। प्रार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सकाराम के विरूद्ध समान प्रकृति के अपराध चोरी से संबंधित कोई प्रकरण पूर्व में दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.02.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में

समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरोपित अपराध मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सकाराम की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 50 हजार रूपये का स्वयं का बन्धपत्र व 50 हजार रूपये की एक संतोषप्रद जमानत विद्वान विचारण न्यायालय में निम्नलिखित शर्तो सहित प्रस्तुत कर तस्दीक कराने पर कि वह प्रत्येक तारीख पेशी पर हाजिर होता रहेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(सिद्धार्थ दीप)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सुमेरपुर, जिला पाली।

10. यह आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

(सिद्धार्थ दीप)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सुमेरपुर, जिला पाली।